तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हु... में
11.5.18	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7.5.18 को पेश हो। [signature]	
7.5.18 [thumb impressions] [signatures]	पत्रावली केम्प अमरपुरा थेड़ी में पेश हुई। वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल रहे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। इस परिणाम का मुकद्दमे शुल्क बरबन्त इन्दराज शामिल पत्रावली किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुदकर होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	
I by me today A. Kumar Adv 02-4-18 (अजय कुमार मित्रवाई एड) प्रति सं. 10		

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः—239/2016

1. कुजरत अली
2. हजरत अली

पिसरान अतामोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ—

—वादीगण—

बनाम

1. अतामोहम्मद पुत्र श्री सुभान, जाति मुसलमान (लबाना) निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. फरजन्दअली
3. अब्दुल मलिक

पिसरान अतामोहम्मद, जाति मुसलमान (लबाना) निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

4. हनीफा बीबी पत्नि अतामोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
5. रानीबीबी पुत्री अतामोहम्मद पत्नि मोहम्मद रमजान, जाति मुसलमान, निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
6. शवानी बीबी पुत्री अतामोहम्मद पत्नि श्री ऐशअली, जाति मुसलमान, निवासी गाहडू, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
7. माफिया पुत्री अतामोहम्मद पत्नि अब्बुल खालिक, जाति मुसलमान, निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ—
8. शाहमोहम्मद पुत्र स्व0 श्री सुभान, जाति मुसलमान, निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ—
9. हबीब उल्ला पुत्र अलादिता, जाति मुसलमान, निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ—
10. सरजीत कौर पत्नि गंगा सिहं, जाति जटसिख, निवासी हनुमानगढ़ जं0, तहसील व जिला हनुमागनढ़—
11. एम0जी0बी0 ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, हनुमानगढ़—
12. एस0बी0आई0 लीलावाली, जरिये शाखा प्रबन्धक, हनुमानगढ़—
13. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़—
14. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया—
15. उपपंजीयक, हनुमानगढ़—
16. उपपंजीयक, संगरिया

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः—

4. श्री आत्माराम भादू—अधिवक्ता—वादीगण
5. श्री लालचन्द वर्मा—अधिवक्ता—प्रतिवादीगणसं.—1 से 9
6. श्री अजय कुमार बिश्नोई—अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या—10

निर्णय दिनांकः— 7.5.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 17—06—2016 को विरूद्व प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए इस आशय की घोषणा के साथ पेश कि चक 2 आरआरडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—157/147 की 11.953 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या—1 की 5.470 हैक्टेयर व खाता संख्या—158/149 की 2.519 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या—1 का 1/2 हिस्सा अर्थात 1.259 हैक्टेयर तथा तहसील संगरिया के चक 1 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या—60/57

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

की 1.505 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या–1 का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.752 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज है व इस प्रकार दोनों तहसीलो के कुल तीन खातों में प्रतिवादी संख्या–1 की कुल 7.481 हैक्टेयर अर्थात 29 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित है। वादीगण ने यह कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या–1 ने चक 2 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या–147/147 में अपने हिस्सा की 5.470 हैक्टेयर में से 1.392 हैक्टेयर का उपहार पत्र दिनांक 13.6.2016 को प्रतिवादिया संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में कथित रूप से 13 वर्ष पूर्व दिनांक 05–05–2003 को प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपने हक व हिस्सा की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का वादीगण के पक्ष में मौखिक हिब्बा किये जाने का कथन करते हुये प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज कुल 7.481 हैक्टेयर में से 3.617 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या–1 से 9 ने जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये वादीगण के वादपत्र का विरोध किया। दौराने दावा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 से 10 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दिनांक 02–04–2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा की वैद्यता के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुना गया। चूंकि वादीगण का वादपत्र धारा 88–188 आरटीए का प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें धारा 53 आरटीए का कोई अनुतोष नहीं है लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत राजीनामा में धारा 53 आरटीए का अनुतोष चाहा है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रतिवादी संख्या–1 की प्रथम पत्नि अमीराबीबी से उत्पन्न सन्तान वादीगण है तथा प्रतिवादी संख्या–1 की द्वितीय पत्नि हनीफाबीबी से उत्पन्न सन्तान प्रतिवादीगण संख्या–2, 3 व 5 से 7 है। प्रतिवादी संख्या–1 ने राजस्व अभिलेख में तीनों खातों की कुल 6.090 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को बहिस्सा बराबर 2.328 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 को बहिस्सा बराबर 2.301 हैक्टेयर भूमि मौखिक हिब्बा में देकर कब्जा सुपुर्द कर देने का कथन किया तथा शेष 1.461 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या–1 ने स्वयं की खातेदारी होना बताया है व इस 1.461 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में अपने पुत्रों व पत्नि की सहमति से अपनी पुत्रियां प्रतिवादीगण संख्या–5 से 7 के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने का कथन किया है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या–1 के शेष वारिस सहमत है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मौखिक हिब्बा के प्रावधान होने से यह राजीनामा धारा 88–188 आरटीए की हद तक विधिसम्मत पाया जाता है। अतः इस राजीनामा के अनुसार इस वादपत्र का निस्तारण धारा 88–188 आरटीए की हद तक किया जाना न्यायोचित है।

अतः मुताबिक राजीनामा वादीगण का वादपत्र धारा 88–188 आरटीए की हद तक स्वीकार किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 2 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या–157/147 में दर्ज 4.078 हैक्टेयर, खाता संख्या–158/149 में दर्ज 1.2595 हैक्टेयर व तहसील संगरिया के चक 1 आरआरडब्बल्यू के खाता संख्या–60/57 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज 0.7525 हैक्टेयर कुल 6.090 हैक्टेयर में वादीगण बहिस्सा बराबर 2.328 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 को बहिस्सा बराबर 2.301 हैक्टेयर भूमि के खातेदार हैं व शेष 1.461 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी रहेगी। वादीगण का वादपत्र धारा 88–188 आरटीए का होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या–4, 8, 9 व 10 ने राजीनामा में वर्णित भूमि का खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है, को प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रश्नगत रकबा पर बैंक ऋण है तो ऋण चुकता का प्रमाण–पत्र पेश करने पर ही डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.5.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
(राजस्व) हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner